अध्याय सारांश

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक आयकर विभाग और वित्त मंत्रालय द्वारा अनुरक्षित निर्धारण और अन्य अभिलेखों की नमूना जांच के माध्यम से भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (कर्त्तव्य, शक्तियाँ तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 16 के अधीन संघ सरकार के प्रत्यक्ष करों से राजस्व की लेखापरीक्षा करते हैं। वह उनके कार्यचालन की प्रभाववा ारिता का निर्धारण करने के लिए कर प्रशासन के विवेचनात्मक क्षेत्रों में विभाग/सरकार द्वारा निर्धारित प्रणालियों तथा कार्यविधियों की जांच करते हैं और निर्धारण, मांग तथा विभिन्न निर्धारितियों से कर राजस्व के संग्रहण में कर विधियों, नियमों और न्यायिक निर्णयों के अनुपालन का मूल्यांकन करते हैं।

(पैरा संख्या 1.2)

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के अधीनस्थ क्षेत्रीय कार्यालयों ने निगम कर, आयकर तथा अन्य प्रत्यक्ष करों से संबंधित विभाग के निर्धारण अधिकारियों को 2005-06 के दौरान 6,101.69 करोड़ रूपये के कर प्रभाव वाले अवनिर्धारण पर 158009 लेखापरीक्षा अभ्युक्तियाँ और 1549.16 करोड़ रूपये के कर प्रभाव वाले अधिक निर्धारण के 121 मामले जारी किए। पृथक ड्राफ्ट पैराग्राफ के रूप में 1,971.33 करोड़ रूपये के कर प्रभाव वाले कुल 905 मामले मंत्रालय को जारी किए गए थे जिनमें से 1,770.30 करोड़ रूपये के कर प्रभाव वाले 862 मामले इस प्रतिवेदन में शामिल किए गए हैं।

(पैरा संख्या 1.4 व 1.7)

विभाग ने 2005-06 के दौरान स्थानीय लेखापरीक्षा प्रतिवेदन/प्रणाली समीक्षाओं सहित 2517 लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों के सम्बन्ध में 305.63 करोड़ रूपये की वसूली की।

(पैरा संख्या 1.6.1)

20005-06 के दौरान निपटान किए गए 12.78 लाख के लक्ष्य में से मात्र 4.72 लाख मामले 63.07 प्रतिशत के शेष को छोड़ते हुए आंतरिक लेखापरीक्षा द्वारा देखे गये थे

(पैरा संख्या 1.11.1)

लेखापरीह को प्रस्तुत नही किए गए और 2004-05 के दौरान पुनः माँगे गए पूर्व वर्षों में 59,996 अभिलेखों के 66 प्रतिशत से अधिक अभिलेख 2005-06 में लेखापरीक्षा को प्रस्तुत नहीं किए गए थे।

(पैरा संख्या 1.13)

यह प्रभ्यवेदन लेखापरीक्षा अभ्युक्त्यिों के लिए वित्त मंत्रालय के उत्तर, जहाँ कहीं प्राप्त हुए, पर विचार करने के बाद तैयार किया गया है।

(पैरा संख्या 1.6)

अध्याय I: प्रस्तावना

सामान्य

1.1 संसद द्वारा उद्ग्रहीत प्रत्यक्ष करों में निम्न शामिल हैं:

- **निगम कर**
- **आय कर**
- **सम्पत्ति कर**
- **दान कर**
- **ब्याज कर**
- **व्यय कर**
- **सीमांत लाभ कर**
- **प्रतिभूति संव्यवहार कर और**
- **बैंकिंग नकद संव्यवहार कर**

प्रत्यक्ष करों से संबंधित कानून का केन्द्रीय प्रत्य कर बोर्ड (यहाँ से आगे "बोर्ड " कहा जाएगा) द्वारा संचालन किया जाता है। बोर्ड राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय के समग्र नियंत्रणाधीन है। 2005-06 के दौरान प्रत्यक्ष करों से राजस्व 1,665,216 करोड़ रूपये था। विभिन्न प्रत्यक्ष करों से राजस्व के समय श्रेणी आंकडे और कर प्रशासन पर अन्य संबंधित सांख्यिकीय सूचना अध्याय II में प्रस्तुत किए गए हैं।

सांविधिक लेखापरीक्षा

1.2 भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षव द्वारा प्रत्यक्ष करोंकी लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियां एवं सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 16 के अधीन की जाती है। लेखापरीक्षा में क्षेत्रीय कार्यालय और बारो शामिल होते हैं और निम्न की जांच शामिल होती है

(क) नमूना जांच के माध्यम से निर्धारण
(ख) अनुदेश और परपत्र जारी करने के मूलाधार
(ग) विशेष मामलों में लिए गए निर्णय और
(घ) कर संग्रहण, अपील तथा समग्र कर प्रशासन की प्रणालियों तथा कार्यविधि की प्रभावोत्पादकता तथा पर्याप्तता।

1.3 प्रत्येक निधरण इकाई की लेखापरीक्षा पूण करने के बाद लेखापरीक्षा अभ्युक्तियाँ स्थानीय लेखापरीक्षा रिपो के माध्यम से विभाग को सूचित की जाती हैं। महत्वपूर्ण अभ्युव्यियों के मामले में तथ्यों के सत्यापन और उनकी टिप्पणियां प्राप्त करने के लिए तथ्यों की विवरणी विभाग को जारी की जाती है। लेखापरीक्षा निष्कर्ष बोर्ड तथा वित्त मंत्रालय को भेजे जाते हैं। अन्त में प्रत्यक्ष करों पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन भारत के राष्ट्रपति के माध्यम सव्पसद को भेजा जाता है।

वर्तमान प्रतिवेदन

1.4 प्राक्कथन इस प्रतिवेदन के प्रबंध का वर्णन करता है। मंत्रालय का उत्तर, जहाँ भेजा गया प्रत्येक मामले में दर्शाया गया है। जहां मंत्रालय का उत्तर स्वीकार्य नहीं है वहाँ मंत्रालय के उत्तर के साथ साथ कारणों का उल्लेख किया गया है।

1.4.1 वर्तमान प्रतिवेदन में वि मंत्रालय को भेजी गई 905 लेखापरीक्षा में से 862 अभ्युक्तियां शामिल हैं। नीचे की तालिका 1.1 में मंत्रालय को जारी और इस प्रतिवेदन में शामिल ड्राफ्ट पैराग्राफों[1] के ब्यौरे अन्तर्विष्ट हैं।

(करोड़ रूपये में)

तालिका 1.1 : 2005-06 के दौरान मंत्रालय को जारी ड्राफ्ट पैराग्राफ (डी पी)

कर की श्रेणी	मंत्रालय को जारी ड्राफ्ट पैराओं की संख्या	कर प्रभाव (करोड़ रूपये में)	प्रतिवेदन में शामिल ड्राफ्ट पैराओं की संख्या	कर प्रभाव (करोड़ रूपये में)
1	**2**	**3**	**4**	**5**
निगम कर	665	1910.31	632	1714.86
आयकर	182	54.17	174	50.27
धनकर	42	2.65	42	2.65
दान कर	2	1.68	0	0
ब्याज कर	14	2.52	14	2.52
जोड़	**905**	**1971.33**	**862**	**1770.30**

1.4.2 उपर्युक्त में से 1,440.68 करोड़ रूपये के कर प्रभाव वाली पाँच सौ सत्तरह अभ्युक्तियाँ 2005-06 के दौरान की गई स्थानीय लेखापरीक्षा से दृष्टिगोचर हुई थीं और 530.65 करोड़ रूपये के कर प्रभाव वाली शेष 388 अभ्युक्तियाँ पूर्व वर्षों में की गई लेखापरीक्षा के दौरान देखी गई थीं।

1.5 समीक्षाओं या प्रणाली मूल्यांकन के परिणामों वाला एक अलग प्रतिवेदन 2007 का 8 (निष्पादन लेखापरीक्षा) निम्नलिखित विषयों पर तैयार किया गया है

- कम्प्यूटर साफ्टवेयर, आटोमोबाइल और अनुषगियों, इस्पात एवं व्यापार चयनित क्षेत्रों में चयनित कम्पनियों का निर्धारण
- टी डी एस/टी सी एस योजनाओं का कार्यान्वयन
- संघों/संस्थाओं एवं विशिष्ट खिलाड़ियों का निर्धारण

ड्राफ्ट पैराग्राफों पर बोर्ड की टिप्पणियाँ

1.6 पर्याप्त कर प्रभाव के साथ मामले "ड्राफ्ट पैराग्राफ" के रूप में आयकर विभाग तथा मंत्रालय के ध्यान में लाए गए हैं। इस प्रतिवेदन को अन्तिम रूप देने से पूर्व ड्राफ्ट पैराग्राफों के सम्बन्ध में कई के उत्तर पर विचार किया जा सके। नीचे की तालिका 1.2

[1] उनकी टिप्पणियां मांगने के लिए एक लेखापरीक्षा अभ्युक्ति मंत्रालय को जारी की गई।

में अनुवर्ती कार्रवाई के साथ मंत्रालय से प्राप्त उत्तरों की स्थिति और इस प्रतिवेदन को अंतिम रूप दिये जाने तक की गई वसूलियाँ शामिल हैं।

तालिका 1.2 : मंत्रालय द्वारा डी पी पर अनुवर्ती कार्रवाइ एवं उनके सम्बन्ध में वसूलियाँ

लेखा परीक्षा प्रतिवेदन का वर्ष	मंत्रालय को जारी डी पी		स्वीकृत पैराग्राफ				प्राप्त न हुए उत्तर		की गई वसूलियाँ					
	सं.	राशि	पुर्वमुद्रण		पश्च मुद्रण		सं.	राशि	पुर्वमुद्रण		पश्च मुद्रण		जोड़	
			सं.	राशि	सं.	राशि			सं.	राशि	सं.	राशि	सं.	राशि
2005-06	905	1971.33	340	328.28	-	-	422	1556.68	29	13.75	-	-	29	13.75
2004-05	688	3490.55	36	9.28	268	751.43	377	2662.39	9	1.29	47	213.37	56	214.66
2003-04	931	1852.65	74	59.68	498	809.46	175	748.42	16	4.62	77	34.33	93	38.95
2002-03	980	1419.20	168	64.07	634	667.86	97	404.44	33	3.64	77	19.96	110	23.60
2001-02	918	1503.37	112	54.54	551	558.02	92	204.69	18	4.11	64	23.73	82	27.84

1.6.1 2005-06 के दौरान विभाग ने 2005-06 एवं पूर्ववर्ती वर्षों के दौरान स्थानीय लेखापरीक्षा प्रतिवेदन/प्रणाली समीक्षाओं सहित 2,517 लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों के सम्बन्ध में 305.63 करोड़ रूपये की वसूलियाँ की।

सामान्य में नमूना लेखापरीक्षा के परिणाम

1.7 1 अप्रैल 2005 से 31 मार्च 2006 तक के बीच सभी प्रत्यक्ष करों के निर्धारणों की की गई लेखापरीक्षा से अवनिर्धारण के 15,809 मामलों और अधिक निर्धारण के 121 मामलों का पता चला जिनमें क्रमशः 6,101.69 करोड़ रूपये और 1549.16 करोड़ रूपये का राजस्व प्रभाव अन्तर्ग्रस्त है। निर्धारण अधिकारियों ने 3,485 लेखापरीक्षा अभ्युक्तियाँ (22.04 प्रतिशत) स्वीकार कीं और 6,764 अभ्युक्तियां (42.79 प्रतिशत) स्वीकार नहीं कीं तथा 5560 अभ्युक्तियां (35.17 प्रतिशत) का उत्तर नहीं दिया जिनमें अवनिर्धारण का क्रमशः 749.32 करोड़ रूपये, 2,141.39 करोड़ रूपये तथा 3210.98 करोड़ रूपये का कर प्रभाव अन्तर्ग्रस्त है।

निगम कर तथा आयकर

1.7.1 निर्धारितियों की भिन्न प्रास्थिति से संबंधित 2005-06 के दौरान निगम तथा आयकर पर उनके कर प्रभाव सहित लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों की संख्या नीचे तालिका 1.3 में दर्शाई गई है

तालिका 1.3 : निगम तथा आयकर पर 2005-06 के दौरान लेखापरीक्षा अभ्युक्तियाँ

क्रम सं.	निर्धारितियों की प्रास्थिति	लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों की संख्या	कर प्रभाव (करोड़ में)
1	कम्पनियां	6389 (41.88)	5755.17 (94.90)
2	व्यष्टि	5544 (36.34)	138.72 (2.29)
3	फर्म	2713 (17.78)	118.32 (1.95)
4	अन्य निर्धारिती	611 (4.00)	52.48 (0.86)
	जोड़	**15257 (100)**	**6064.69 (100)**

कोष्ठक के आंकड़े प्रतिशतता दर्शाते हैं।

1.7.2 गलतियों और अन्य चूकों, जो लेखापरीक्षा में देखी गई, के स्वरूप के अनुसार अवनिर्धारण पर लेखापरीक्षा का एक विश्लेषण निम्न तालिका 1.4 में अन्तर्विष्ट है।

(करोड़ रूपये में)

तालिका 1.4 : आयकर/निगम कर में चूकों की श्रेणियां

		मामलों की संख्या	कर प्रभाव
1.	आय और कर की संगणना में परिहार्य गलतियां	1193	415.59
2.	वित्त अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन में विफलता	624	195.00
3.	निर्धारणों में अपनाई गई गलत प्रास्थिति	36	4.29
4	वेतन आय की गलत संगणना	271	6.90
5.	गृह सम्पत्ति से आय की गलत संगणना	358	36.15
6.	कारोबार आय की गलत संगणना	3971	3411.42
7.	मूल्यह्रास अनुमत करने में अनियमितताएं	1178	238.01
8.	पूंजीगत अभिलाभ की गलत संगणना	246	30.33
9.	फर्मों के निर्धारणों में गलतियां	170	3.04
10.	पति, पत्नी/नाबालिग बच्चों आदि की आय सम्मिलित करने में गलतियां	10	1.10
11.	निर्धारित न की गई आय	1530	390.89
12.	हानियों का अनियमित समंजन	443	216.28
13.	अपीलीय आदेशों का प्रभाव देते समय निर्धारणों में गलतियां	67	5.33
14.	दी गईं अनियमित छूटें तथा अधिक राहत	1903	664.92
15.	अधिक या अनियमित प्रतिदाय	350	32.51
16.	विवरणियों के प्रस्तुतीकरण में विलम्ब, कर भुगतान में विलम्ब आदि के लिए ब्याज का अनुद्ग्रहण/गलत उद्ग्रहण	1241	164.50
17.	सरकार द्वारा ब्याज का परिहार्य या गलत भुगतान	134	42.20
18.	शास्ति की चूक/कम उद्ग्रहण	422	20.84
19.	अन्य महत्वपूर्ण विषय (विविध मामले)	1110	185.39
	जोड़	**15257**	**6064.69**

1.7.3 तालिका संख्या 1.4 में क्रम संख्या 6 तथा 14 पर दर्शाई गई श्रेणियां, नामतः "*कारबार आय की गलत संगणना* " और "दी गई अनियमित छूटें तथा अधिक राहत" लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों और कर प्रभाव की अधिकतम संख्या बनते हैं जिन्हें निम्न तालिका 1.5 में दर्शाया गया है

तालिका 1.5 : श्रेणीवार आपत्तियों की समीक्षा

चूक की श्रेणी	कुल लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों का प्रतिशत	कुल कर प्रभाव का प्रतिशत	लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों की अधिकतम संख्या एवं उनके कर प्रभाव वाले दो प्रभार		
			प्रभार	संख्या (प्रतिशत)	कर प्रभाव (प्रतिशत)
कारोबार आय की गलत संगणना	26	56	महाराष्ट्र एवं दिल्ली	36	77
दी गई अनियमित छूटें तथा अधिक राहत	12	11	तमिलनाडु एवं महाराष्ट्र	40	70

1.7.4 क्रम संख्या 6 के अन्तर्गत लेखापरीक्षा अभ्युक्तियाँ पूंजीगत व्यय, प्रावधान, देयताओं, पूर्वावधि खर्चे आदि की गलत अनुमति पर हैं। क्रम संख्या 14 पर श्रेणी के अन्तर्गत लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां दी गई अनियमित छूटें तथा अधिक राहत आदि से सम्बन्धित हैं।

धन कर

1.7.5 इसी प्रकार धन कर से संबंधित 534 अभ्युक्तियाँ जारी की गईं थीं जिनमें 33.74 करोड़ रूपये का कर प्रभाव अन्तर्ग्रस्त है। निम्न तालिका 1.6 में अनियमितताओं के स्वरूप के अनुसार चूकों का एक विश्लेषण अन्तर्विष्ट है।

(करोड़ रूपये में)

तालिका 1.6 : धन कर में चूकों की श्रेणियां

		मामलों की संख्या	राशि
1	**2**	**3**	**4**
1.	निर्धारित न किया गया धन	425	31.08
2.	परिसम्पत्तियों का गलत मूल्यांकन	27	0.60
3.	निवल धन की संगणना में गलतियां	17	0.20
4.	गलत प्रास्थिति अपनाई गई	1	0.01
5.	कर के परिकलन में गलतियां	2	0.03
6.	अतिरिक्त धन कर का अनुद्ग्रहण या गलत उद्ग्रहण	10	0.10
7.	शास्ति का अनुद्ग्रहण या गलत उद्ग्रहण और ब्याज का अनुद्ग्रहण	14	1.44
8.	विविध	38	0.28
जोड़		**534**	**33.74**

अन्य प्रत्यक्ष कर

1.7.6 अन्य प्रत्यक्ष करों अर्थात दान कर, ब्याज कर आदि से सम्बन्धित अठारह अभ्युक्तियाँ जारी की गईं थीं जिनमें 3.26 करोड़ रूपये का कर प्रभाव अन्तर्ग्रस्त है जैसाकि निम्न तालिका 1.7 में दर्शाया गया है,

(करोड़ रूपये में)

तालिका 1.7 : अन्य प्रत्यक्ष कर

क्र.सं.	कर की श्रेणी	मामलों की संख्या	कर प्रभाव
1	दानकर	1	0.06
2	ब्याज कर	15	2.93
3	व्यय कर	2	0.27
	जोड़	**18**	**3.26**

बकाया सांविधिक लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां

1.8 विभागीय अनुदेशों के अनुसार, सांविधिक लेखापरीक्षा की अभ्युक्तियां का छः सप्ताहों के भीतर उत्तर दिया जाना है। लोक लेखा समिति (नौवीं लोक सभा) ने अपनी 20वीं रिपोर्ट में इस तथ्य को समझा कि लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों के निपटान का उत्तरदायित्व विभाग पर है और इसे लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों के मात्र उत्तर भेज कर सन्तुष्ट नहीं होना है। अपनी की गई कार्रवाई टिप्पणी में वित्त मंत्रालय ने स्पष्ट किया था कि उन्हें यह देखने के लिए प्रयास करना होगा कि लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों के निपटान के लक्ष्य प्राप्त किए गए थे। तथापि, 2005-06 और पूर्व वर्षों में की गई अधिकांश लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों का अभी निपटान किया जाना है।

1.8.1 31 मार्च 2006 को 2,322.47 करोड़ रूपये के राजस्व प्रभाव वाली 71,256 अभ्युक्तियां लम्बित थीं। इनमें 1 अप्रैल 2005 से 31 मार्च 2006 तक के बीच सूचित की गईं लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां शामिल नहीं हैं। लम्बन के वर्षवार ब्यौरे तालिका 1.8 में दिए गए हैं।

(करोड़ रूपये में)

तालिका 1.8 : अन्तिम कार्रवाई हेतु विभाग के पास लम्बित अभ्युक्तियां

वर्ष	आयकर तथा निगम कर		अन्य प्रत्यक्ष कर (धन कर, दान कर, ब्याज कर, व्यय कर तथा सम्पदा शुल्क)		जोड़	
	मद	राजस्व प्रभाव	मद	राजस्व प्रभाव	मद	राजस्व प्रभाव
1	2		3		4	
2002-03 तक	43261	12307.85	5340	159.81	48601	12467.66
2003-04	8667	4496.96	525	145.99	9192	4642.95
2004-05	12858	6068.46	605	44.40	13463	6112.86
जोड़	**64786**	**22873.27**	**6470**	**350.20**	**71256**	**23223.47**

1.8.2 आयकर तथा निगम कर से संबंधित कुल 9,534 लेखापरीक्षा अभ्युक्तियाँ, जहाँ प्रत्येक मामले में 10 लाख रूपये से अधिक कर अन्तर्ग्रस्त है, 17,001.08 करोड़ रूपये के राजस्व प्रभाव (2004-05 में 14,516.80 करोड़ रूपये के राजस्व प्रभाव के साथ 9,207 मामलों के प्रति) के साथ 31 मार्च 2006 को लम्बित थीं। विभिन्न प्रभारों से सम्बन्धित मामले निम्न तालिका 1.9 में दर्शाए गए हैं।

(करोड़ रूपये में)

तालिका 1.9 : लम्बित आयकर/निगम कर मामले जहाँ प्रत्येक मामले में कर 10 लाख रूपये से अधिक है

क्रम सं.	प्रभार का नाम	मद	राशि
1	**2**	**3**	**4**
1.	आन्ध्र प्रदेश	266	259.15
2.	असम	213	381.19
3.	बिहार	56	17.00
4.	संघ राज्य क्षेत्र चण्डीगढ़	67	99.92
5.	छत्तीसगढ़	100	87.98
6.	दिल्ली	1787	3689.26
7.	गोवा	44	55.35
8.	गुजरात	452	437.36
9.	हरियाणा	109	106.02
10.	हिमाचल प्रदेश	25	20.88
11.	जम्मू एवं कश्मीर	43	24.29
12	झारखण्ड	111	88.88
13.	कर्नाटक	322	462.83
14.	केरल	403	409.17
15	मध्य प्रदेश	213	417.94
16	महाराष्ट्र	2388	6666.66
17.	उड़ीसा	155	216.80
18.	पंजाब	310	339.59
19.	राजस्थान	292	626.23
20.	तमिलनाडु	836	818.33
21.	उत्तर प्रदेश	592	399.62
22.	उत्तरांचल	42	580.79
23.	पश्चिम बंगाल	708	795.81
	जोड़	**9534**	**17001.08**

1.8.3 तालिका 1.10 में अन्य प्रत्यक्ष करों से सम्बन्धित लम्बित लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों के आंकड़े अन्तर्विष्ट हैं जहाँ प्रत्येक मामले में 5 लाख रूपये से अधिक का कर अन्तर्ग्रस्त है।

(करोड़ रूपये में)

तालिका 1.10 : अन्य प्रत्यक्ष करों के लम्बित मामले

क्र. सं.	कर की श्रेणी	लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों की संख्या	कर प्रभाव
1	**2**	**3**	**4**
1.	धन कर	260	60.40
2.	दान कर	30	9.42
3.	ब्याज कर	75	64.09
4.	व्यय कर	4	0.93
5.	सम्पदा शुल्क	6	7.02
	जोड़	**375**	**141.86**

1.8.4 उपर्युक्त तालिका 1.9 तथा 1.10 में दर्शाई गई नौ हजार नौ सौ नौ लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां कुल अभ्युक्तियों का 13.91 प्रतिशत बनती हैं और कुल लम्बित मामलों के राजस्व प्रभाव के 17,142.94 करोड़ रूपये (73.82 प्रतिशत) की द्योतक हैं। विभाग को उच्च कर प्रभाव की अभ्युक्तियों के निपटान को प्राथमिकता देने की आवश्यकता है।

1.9 निम्न तालिका 1.11 कार्य योजना तथा वास्तविक उपलब्धियों के अनुसार वर्ष 2003-04 के दौरान प्रमुख सांविधिक लेखापरीक्षा अयुक्तियां निपटान के लक्ष्यों को दर्शाती हैः

तालिका 1.11 : कार्य योजना एवं विभाग की वास्तविक उपलब्धिधां

लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां					
अभ्युक्तियों का स्वरूप	**निपटान के लिए**	**निर्धारित लक्ष्यों के अनुसार निपटान किया जाना**	**निपटान**	**लक्ष्य (प्रतिशत)**	**निर्धारित लक्ष्यों के संदर्भ में उपलब्धियां (प्रतिशत)**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
चालू	4988 (22996.28)	3990 (18397.02)	1583 (20419.81)	80	31.74
बकाया	12700 (5266.00)	11430 (4739.40)	5561 1912.99)	90	43.78
(कोष्ठकों के आंकड़े करोड़ रूपये में धन मूल्य दर्शाते हैं)					

1.9.1 2005-06 के लिए विभाग की कार्य योजना में सभी बकाया प्रमुख लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों के 90 प्रतिशत और चालू प्रमुख लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों के 80

प्रतिशत के निपटान का प्रावधान था। तथापि, वास्तविक उपलब्धि निर्धारित लक्ष्यों की क्रमशः केवल 43.78 प्रतिशत और 31.74 प्रतिशत थी। तथापि धन मूल्य के रूप में उपलब्धि चालू लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों के मामलें में लक्ष्य से अधिक हुई थी किन्तु बकाया प्रमुख लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों के मामले में लक्ष्य से कम थी।

कालबाधित उपचारी कार्रवाई

1.10 बोर्ड ने लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों पर समय से कार्रवाई करने के लिए विशेष अनुदेश जारी किए हैं ताकि मामले समय सीमा द्वारा कालबाधित न हों और जिसके कारण राजस्व की हानि न हो। लोक लेखा समिति (150वीं रिपोर्ट-आठवीं लोक सभा) ने भी सिफारिश की थी कि बोर्ड लेखापरीक्षा के परामर्श से पुरानी बकाया अभ्युक्तियों की समीक्षा करें।

(करोड़ रूपये में)

तालिका 1.12 :उपचारी कार्रवाई जो कालबाधित हो गई

क्र सं.	राज्य का नाम	आयकर	
		संख्या	कर प्रभाव
1.	**आन्ध्रा प्रदेश**	243	28.64
2.	असम	4	0.07
3.	बिहार	168	19.96
4.	झारखंड	206	31.57
5.	गुजरात	223	40.79
6.	हरियाणा	80	0.70
7.	जम्मू एवं कश्मीर	7	0.22
8.	केरल	17	0.31
9.	यू टी चण्डीगढ़	110	10.52
10.	मध्य प्रदेश	315	31.90
11.	महाराष्ट्र	598	520.75
12.	उडीसा	86	4.90
13	पंजाब	28	0.13
14	राजस्थान	180	220.81
	जोड़	**2265**	**911.27**

1.10.1 कुछ प्रभारों में जहां 1979-80 और 1997-98 के बीच जारी लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां की प्रास्थिति की 2005-06 में समीक्षा की गई थी, उन मामलों जहां कार्रवाई कालबाधित हो गई थी देखे गए थे। इन मामलों के ब्यौरे सम्बन्धित कमिश्नरियों को भेजे गए है। तालिका 1.12 में कर प्रभाव के साथ-साथ ऐसे मामलों की संख्या अन्तर्विष्ट है।

आन्तरिक लेखापरीक्षा

1.11 विभाग की कार्ययोजना के अनुसार 1 अप्रैल 2005 तक लम्बित सभी बकाये लेखापरीक्षणीय मामले 30 नवम्बर 2005 तक आंतरिक रूप से लेखापरीक्षा किए जाने के लिए अपेक्षित थे और 31 दिसम्बर 2005 तक लेखापरीक्षणीय मामले 31 मार्च 2006 तक लेखापरीक्षा किए जाने थे।

1.11.1 आन्तरिक लेखापरीक्षा के कार्यचालन का विश्लेषण, जैसा कि नीचे दिया गया है, से पता चलता है कि आन्तरिक लेखापरीक्षा अप्रभावी है और सुदृढ़ किए जाने की

आवश्यकता है। 2005-06 के दौरान निपटान हेतु 12.78 लाख मामलों के लक्ष्य में से 63.07 प्रतिशत का बकाया छोड़कर केवल 4.72 लाख मामले आन्तरिक लेखापरीक्षा में देखे गए। ब्यौरे तालिका 1.13 में दिए गए हैं।

तालिका 1.13 : आन्तरिक लेखापरीक्षा का निष्पादन

वित्त वर्ष	कुल लेखापरीक्षणीय मामले	निपटान का लक्ष्य	लेखापरीक्षित कुल मामले	कुल लेखापरीक्षणीय मामलों के संदर्भ में कमी	
				संख्या	प्रतिशतता
2003-04	18,40,561	18,40,561	6,90,841	11,49720	62.47
2004-05	13,87,549	13,87,549	5,99,243	7,88,306	56.81
2005-06	12,77,910	12,77,910	4,71,777	806,133	63.07

1.11.2 आन्तरिक लेखापरीक्षा में की गई अभ्युक्तियों की संख्या 2003-04 में 6,876, 2004-05 में 8,392 और 2005-06 में 6,133 थी जिसमें क्रमशः 159.23 करोड़ रूपये, 274.05 करोड़ रूपये, और 608.28 करोड़ रूपये का धन मूल्य अन्तर्ग्रस्त है।

1.11.3 2005-06 के दौरान मंत्रालय को जारी 905 ड्राफ्ट पैराओं में से केवल 71 (जारी ड्राफ्ट पैराओं का 7.85 प्रतिशत) विभाग के आन्तरिक लेखापरीक्षा द्वारा देखे गए थे और सांविधिक लेखापरीक्षा द्वारा उल्लेखित गलतियां उनके द्वारा जाँचे गये मामलों में आन्तरिक लेखापरीक्षा द्वारा खोजी नहीं गई हैं।

1.11.4 आयकर निदेशालय (आयकर एवं लेखापरीक्षा) द्वारा भेजे गए आंकड़ो के अनुसार 31.03.2005 को लेखापरीक्षणीय मामलों का अन्त शेष 7.88 लाख था जो 01.4.2005 को लेखापरीक्षणीय मामलों के अथ शेष के साथ मेल नहीं खाता है जो 6.97 लाख दर्शाया गया था।

आन्तरिक लेखापरीक्षा की बकाया लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां

1.12 विभागीय निर्देशों के अनुसार आन्तरिक लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों पर निर्धारण अधिकारी द्वारा तीन महीनों के भीतर ध्यान दिया जाना है। तथापि, 31 मार्च 2006 को 689.16 करोड़ रूपये के कर प्रभाव वाली आन्तरिक लेखापरीक्षा की 8,965 लेखापरीक्षा अभ्युक्तियाँ निपटान के लिए लम्बित थीं। इसमें 2005-06 के दौरान की गईं 366.10 करोड़ रूपये के धन मूल्य की 2898 अभ्युक्तियां शामिल थीं।

1.12.1 निम्न तालिका 1.14 में आन्तरिक लेखापरीक्षा की प्रमुख अभ्युक्तियां और उनका निपटान अन्तर्विष्ट है।

तालिका 1.14 : प्रमुख आपत्तियों के संबंध में आ ले प का निष्पादन

वित्त वर्ष	निपटान हेतु मामलों की संख्या	निपटाये गये मामलों की संख्या	निपटाये गये कुल मामलों का प्रतिशत	बकाया मामलों की संख्या
2001-02	5,375(814.84)	1,111(216.79)	21	4,264(598.05)
2002-03	6,635(1,430.33)	2,348(452.13)	35	4,287(978.20)
2003-04	5,151(1,936.90)	1,466(275.63)	28	3,685(1,661.27)
2004-05	5,333(941.02)	2,296(485.17)	43	3,037(455.85)
2005-06	3592(849.58)	1533(170.79)	43	2059(678.79)

(कोष्ठक के आंकडे करोड़ रूपयों में धन मूल्य दर्शाते हैं)

1.12.2 2005-06 के दौरान निपटाये गए मामले 1533 (43 प्रतिशत) थे। इसके अलावा 2002-03 से 2005-06 तक के अथ शेष 2001-02 से 2004-05 के अन्त शेष के साथ मेल नहीं खाते हैं जिनका अभी विभाग में मिलान किया जाना था।

तालिका 1.15 : आन्तरिक लेखापरीक्षा आपत्तियों का लक्ष्य एवं वास्तविक निपटान

	लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां				
	निपटान हेतु	निर्धारित लक्ष्यों के अनुसार निपटाये गये जाने वाले	निपटाये गये	लक्ष्य (प्रतिशत)	प्राप्त (प्रतिशत)
1	2	3	4	5	
चालू	1,479(263.31)	1,479(263.31)	494(39.68)	100	33.40
बकाया	3,854(677.71)	3,854(677.71)	1,802(445.49)	100	46.76

कोष्ठक के आंकडे करोड़ रूपये में मूल्य दर्शाते हैं

इस प्रकार उपलब्धियां निर्धारित लक्ष्यों से कम रहीं।

लेखापरीक्षा को प्रस्तुत न किये गए अभिलेख

1.13 निर्धारण, संग्रहण और करों के उचित आवंटन पर प्रभावी जांच सुनिश्चित करने और यह जांच करने कि विनियमों और कार्यविधियों का अनुपालन किया जा रहा है, के उद्देश्य से निर्धारण अभिलेखों की राजस्व लेखापरीक्षा में संवीक्षा की जाती है। लेखापरीक्षा को शीघ्र अभिलेख प्रस्तुत करना और सुसंगत सूचना भेजना विभाग के लिए आवश्यक है।

परिशिष्ट-1 में पूर्व लेखापरीक्षा चक्रों में लेखापरीक्षा को प्रस्तुत न किए गए अभिलेखों के ब्यौरे अन्तर्विष्ट हैं जिन्हें 2004-05 में फिर मांगा गया था। पूर्व लेखापरीक्षा के दौरान प्रस्तुत न किए गए और 2004-05 में पुनः मांगे गए 66 प्रतिशत से अधिक मामले

विभाग के पुनर्गठन के बाद दो वर्ष से अधिक समय बीत जाने के बाद भी लेखापरीक्षा को प्रस्तुत नहीं किए गए थे। परिणामस्वरूप ऐसे मामलों की लेखापरीक्षा नहीं की जा सकी। ऐसे मामलों में राजस्व की हानि के जोखिम से इन्कार नहीं किया जा सकता।

तालिका 1.16 में राज्य वार ब्यौरे अन्तर्विष्ट हैं जहाँ अभिलेख तीन या अधिक क्रमिक लेखापरीक्षा चक्रों में लेखापरीक्षा को प्रस्तुत नहीं किए गए थे। परिणामस्वरूप ऐसे मामलों की भी लेखापरीक्षा नहीं की जा सकी।

तालिका 1.16 तीन या अधिक लेखापरीक्षा चक्रों में प्रस्तुत न किए गए अभिलेख

क्र सं.	राज्य	प्रस्तुत न किए गए अभिलेखों की संख्या		
		आयकर/निगमकर	धन कर	जोड़
1	**2**	**3**	**4**	**5**
1	आंध्र प्रदेश	26	3	29
2	कर्नाटक	17	11	28
3	मध्य प्रदेश	11	0	11
4	उड़ीसा	26	0	26
5	राजस्थान	3	0	3
6	महाराष्ट्र	0	13	13
	जोड़	**83**	**27**	**110**